

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-79/2025 दिनांक 20.03.2025)
दिनांक-20.03.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना सेवरहीं पुलिस द्वारा झपट्टामारी की मोबाइल के साथ दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 19.03.2025 को थाना सेवरहीं क्षेत्रान्तर्गत खुसियाल चौहान पुत्र मुन्नीलाल चौहान निवासी धुरियाकोट थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर द्वारा सूचना दी गयी थी कि दो व्यक्तियों द्वारा मेरे हाथ से मोबाइल फोन को झपट्टामार कर ले गये है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 79/2025 धारा 304(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण में पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए दो अभियुक्तों 1.अरविन्द उर्फ राका पुत्र महेन्द्र गौड़ 2.पवन उर्फ मंकी पुत्र गोविन्द पासवान निवासीगण अजयनगर बभनौली थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से मोबाइल फोन(झपट्टामारी की) तथा अपराध में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल बरामद की गयी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 79/2025 धारा 304(2) बीएनएस बढोत्तरी की धारा 317(2) बीएनएस थाना सेवरहीं जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण



1. अरविन्द उर्फ राका पुत्र महेन्द्र गौड़ निवासी अजयनगर बभनौली थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. पवन उर्फ मंकी पुत्र गोविन्द पासवान निवासी अजयनगर बभनौली थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

बदामदगी का विवरण

- 1- एक अदद एण्ड्रायड मोबाइल
- 2- अपराध में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पेलण्डर प्लस (UP57BC0964)

बरामदगी/ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० शेषनाथ यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. हे०का० मुनायन यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. का० विमलेश यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.03.2025 को थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा मु०अ०सं०- 35/2025 धारा 137(2), 87, 115(2), 127, 352, 65(1) बी०एन०एस० व 3/4 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजू चौहान पुत्र महेन्द्र चौहान निवासी पकड़ी बुजुर्ग (नौका टोला) थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-



मु0अ0सं0- 35/2025 धारा137(2),87,115(2),127,352,65(1) बी0एन0एस0 व ¾ पोक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजू चौहान पुत्र महेन्द्र चौहान निवासी पकड़ी बुजुर्ग (नौका टोला) थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्रा थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री अभय कुमार राय थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
3. का0 श्रवण कुमार गुप्ता थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
4. का0 मदन लाल यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.03.2025 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा मु0नं0 145/2015 मु0अ0सं0 584/2014 धारा 354/504 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी दिनेश राजभर पुत्र रामप्रीत राजभर साकिन धर्मपुर टोला भरपटिया थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 145/2015 मु0अ0सं0 584/2014 धारा 354/504 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट



गिरफ्तार वारण्टी-

दिनेश राजभर पुत्र रामप्रीत राजभर साकिन धर्मपुर टोला भरपटिया थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01. प्र०नि० रवि कुमार राय थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
02. नि० बृजेश यादव थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
03. उ०नि० अच्छेलाल थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
04. म०उ०नि० प्रिन्शी पाण्डेय थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
05. हे०का० मो० इरशाद थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना कसया पुलिस द्वारा चोरी गये एक अदद हैण्ड पम्प के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.03.2025 को थाना कसया पुलिस द्वारा एक अभियुक्त अमित मद्धेशिया पुत्र जवाहिर मद्धेशिया निवासी जैनगली वार्ड नं० 13 श्रीराम जानकी नगर थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गये एक अदद लोहे का हैण्ड पम्प की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 0157/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 0157/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस



गिरफ्तार अभियुक्त-

अमित मद्धेशिया पुत्र जवाहिर मद्धेशिया निवासी जैनगली वार्ड नं0 13 श्रीराम जानकी नगर थाना कसया जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण-

एक अदद लोहे का हैण्ड पम्प

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र0नि0 ओमप्रकाश तिवारी थाना कसया जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 बरूनेश उपाध्याय थाना कसया जनपद कुशीनगर
3. का0 अमित यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
4. का0 उमाशंकर यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 87 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-68 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-67, व्यक्ति-195
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-92)



सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर



Edit with WPS Office